65-Copy

RIGHT TO INFORMATION

अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

क्रमांक 7प. 7(1)प्र.सु./सूअप्र/2012 जयपुर, दिनांक 27/7/12

परिपत्र

राज्य सूचना आयोग द्वारा लिये गये निर्णय एक लम्बी प्रकिया का प्रतिफल होता है और आयोग के निर्णय की अनुपालना नहीं होने की स्थिति में आयोग के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किये जाते हैं। अतः लोक प्राधिकरणों से यह अपेक्षा है कि आयोग द्वारा निर्णय पारित किये जाने के पश्चात निर्णय की पालना यथा समय पर करदी जावे। इस विषय में अधिनियम की धारा 19(7) में स्पष्ट उल्लेख है कि **राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्धकर (Binding) होगा।**

अतः कृपया आपके विभाग के समस्त लोक सूचना अधिकारी/विभाग/विभागाध्यक्षों को निदेशित करने का श्रम करें कि वे आयोग के निर्णयों की पालना सुनिश्चित करें। साथ ही संलग्न प्रारूप में आयोग के निर्णयों की पंजिका का संधारण भी करवाया जावे जिसकी जांच कभी भी की जा सकती है।

(सी.के.सिथ्यू)
मुख्य सचिव

समस्त अति. मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
महानिदेशक, पुलिस

My doc./Circulars